उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 | अंक 17 | 1–15 सितंबर 2026 | ₹ 20/–

समान नागरिक संहिता पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध

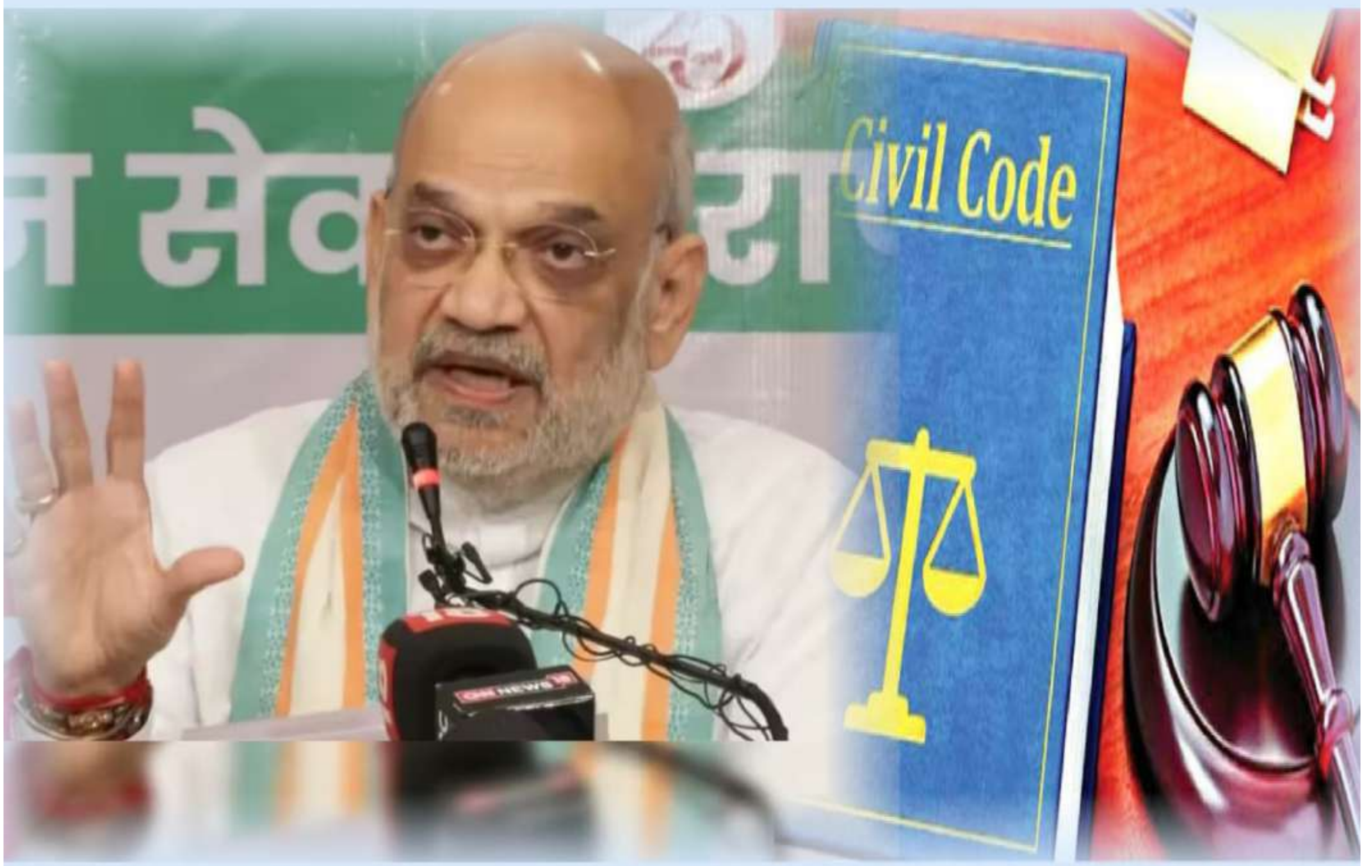

- सहारनपुर में अवैध मस्जिद गिराए जाने पर बवाल
- पाकिस्तान में आसिम मुनीर के सैन्य तानाशाह बनने की तैयारी
- सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों में भारी वृद्धि
- इस्लाम और शरिया की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

समान नागरिक संहिता पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध 04
सहारनपुर में अवैध मस्जिद गिराए जाने पर बवाल 07
इस्लाम और शरिया की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा 11
संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों की आलोचना 13
पश्चिम बंगाल में 252 मदरसे बंद करने का आदेश 16

विश्व

पाकिस्तान में आसिम मुनीर के सैन्य तानाशाह बनने की तैयारी 19
20 लाख अफगान नागरिक स्वदेश लौटने को मजबूर 21
इंडोनेशिया का अफगानिस्तान को मान्यता देने से इनकार 22
पाकिस्तान में अहमदी नेता की बेरहमी से हत्या 23
बांग्लादेश में 11 विपक्षी दलों का लॉन्ग मार्च 24

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों में भारी वृद्धि 26
सऊदी अरब पर हमला करने वाला इराकी सैन्य कमांडर बर्खास्त 29
सऊदी अरब में 11 करोड़ टन यूरेनियम अयस्क की खोज 30
अल्जीरिया ने यूएई से तोड़े राजनयिक संबंध 31
लेबनान का इजरायल के साथ शांति वार्ता से इनकार 32

सारांश

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की है कि 2029 तक सभी एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। गृह मंत्री की इस बड़ी घोषणा के साथ ही मुस्लिम संगठनों और उर्दू प्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी है। विभिन्न उर्दू अखबारों ने इस बात पर विशेष जोर देना शुरू कर दिया है कि एनडीए में शामिल कई क्षेत्रीय दल देश में यूसीसी लागू करने के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए मोदी सरकार को इस संवेदनशील विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए। इन अखबारों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर यूसीसी लागू करने के मंसूबों पर रोक नहीं लगाई तो उनके हाथों से मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह खिसक सकता है।

विदेशी शक्तियों के इशारे पर विश्व भर में भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने का एक संगठित अभियान चल रहा है। यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भारत के प्रशासनिक तंत्र और न्यायपालिका में सांप्रदायिक मानसिकता के लोग आसीन हैं और वे पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक अवैध मस्जिद को स्थानीय अदालत के निर्देश पर ध्वस्त किए जाने के बाद इस दुष्प्रचार अभियान में और तेजी आई है। हैरानी की बात यह है कि इस नैरेटिव को वैश्विक स्तर पर हवा देने के लिए 'अल जजीरा' समेत कई विदेशी मुस्लिम मीडिया संस्थान भी कूद पड़े हैं।

कुछ मुस्लिम संगठनों ने कथित सेक्युलर दलों और उनके नेताओं के सहयोग से भाजपा सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाम और शरिया की रक्षा के लिए इस मुहिम को ग्रामीण स्तर तक ले जाने की घोषणा की है। दूसरी ओर, हाल ही में दिल्ली में मुस्लिम विचारकों, राजनेताओं और बुद्धिजीवियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब जैसे प्रमुख नेताओं की अगुवाई में इस सम्मेलन के दौरान एक 51 सदस्यीय राष्ट्रीय निगरानी समिति के गठन की घोषणा की गई। यह समिति देश भर में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन और कथित उत्पीड़न की घटनाओं की जांच करेगी। इस समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 10 सदस्यों के एक स्थाई सचिवालय की स्थापना की भी घोषणा की गई है।

पाकिस्तान में स्वयंभू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के पांचवें सैन्य तानाशाह के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुईं, उसके कारण आसिम मुनीर की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। उन्होंने सत्ताधारी शरीफ परिवार पर दबाव बनाकर पाकिस्तानी संसद से संविधान संशोधन के जरिए 'डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 2026' पारित करवा लिया है। अब तक पाकिस्तान में थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख अलग-अलग हुआ करते थे और वे एक संयुक्त समिति को रिपोर्ट करते थे। पाकिस्तानी संविधान और कानूनों में किए गए संशोधनों के बाद आसिम मुनीर 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस' के रूप में तीनों अंगों के सर्वोच्च सेनापति बन गए हैं और देश की परमाणु शक्ति का नियंत्रण भी पूरी तरह उनके अधीन आ गया है।

पश्चिम एशिया में दिन-प्रतिदिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और इराक में सक्रिय शिया मिलिशिया गुटों ने सऊदी अरब के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी अरब के समुद्री जहाजों के आवागमन को लगभग ठप कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान का इरादा वैश्विक स्तर पर सऊदी तेल की आपूर्ति बाधित करके उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने का है।

समान नागरिक संहिता पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध

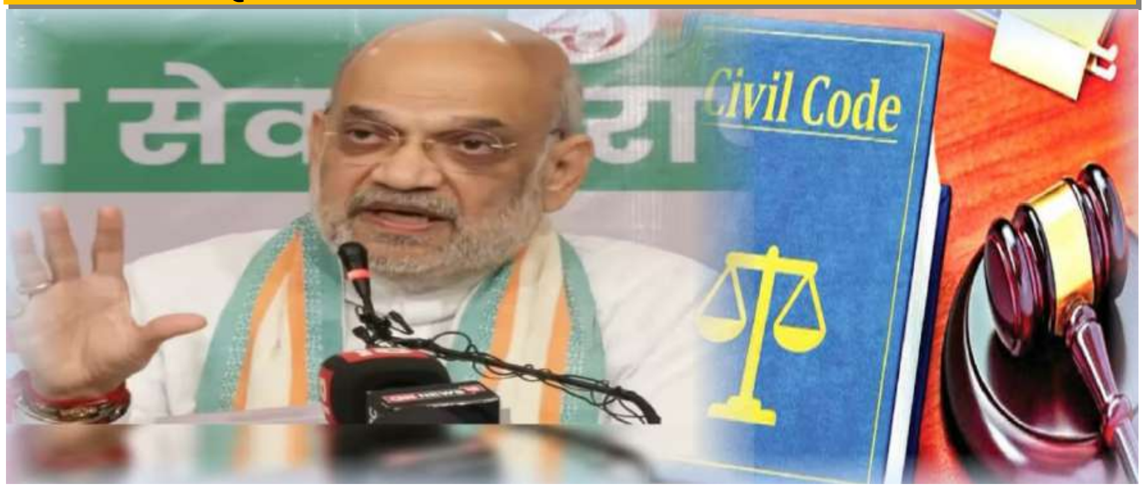

इंकलाब (14 सितंबर) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू है। इसके अतिरिक्त गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी इसे लागू करने की दिशा में विधायी कदम उठा चुके हैं। वहीं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यूसीसी लागू करने का प्रारूप तैयार करने के लिए समितियों का गठन किया जा चुका है।

इंकलाब (15 सितंबर) के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह की इस घोषणा के बाद एनडीए में शामिल कुछ घटक दलों के भीतर अलग-अलग सुर उभरने लगे हैं। जनता दल (यूनाइटेड) ने कहा है कि इस संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित पक्षों से व्यापक बातचीत की जानी चाहिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने स्पष्ट कहा कि भले ही उनकी पार्टी संसद में यूसीसी का समर्थन करने की बात कही हो, लेकिन वे इसे बिहार में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इसके विपरीत एनडीए के एक अन्य सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने अमित शाह के बयान का खुलकर समर्थन किया है। पार्टी के नेता संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यूसीसी में निश्चित रूप से सकारात्मक बातें हैं और इसे लागू करना भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप है।

दूसरी ओर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के इस बयान की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग यह स्पष्ट कर चुका है कि देश में यूसीसी लागू करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी लागू करने का असल उद्देश्य गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपना है, जो भारतीय संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। ओवैसी ने यह भी कहा कि भाजपा आगामी चुनावों को देखते हुए इस विवाद को हवा दे रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (16 सितंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा (केरल) ने कहा है कि यूसीसी को सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोग भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

उर्दू टाइम्स (16 सितंबर) के अनुसार एनडीए के सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने यूसीसी के मुद्दे पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) ने आरोप लगाया है कि भाजपा केवल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए यूसीसी पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज झा ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं, कांग्रेस नेता राजेन्द्र पाल गौतम ने आरोप लगाया है कि जनता के बीच भाजपा की लोकप्रियता अब पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। यही वजह है कि आगामी चुनावों को देखते हुए अवैध घुसपैठ, यूसीसी और मुस्लिम धार्मिक स्थलों जैसे ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दों को जानबूझकर फिर से उछाला जा रहा है।

इंकलाब (15 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यूसीसी लागू करने की यह घोषणा भाजपा के मूल राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। पार्टी इस तरह के संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान देश की ज्वलंत समस्याओं से भटकाना चाहती है। समाचारपत्र ने कहा है कि टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां खुद को मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा करती हैं, लेकिन अब यूसीसी का मुद्दा उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक कसौटी बन गया है। समाचारपत्र ने चेतावनी दी है कि भाजपा भले ही संसद में अपने बहुमत के बल पर इसे लागू करने में सफल हो जाए, लेकिन इसके चलते जमीनी स्तर पर उसके सहयोगी दलों का सफाया हो जाएगा।

उर्दू टाइम्स (16 सितंबर) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि देश अब व्यावहारिक रूप से हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो चुका है और इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए किसी काल्पनिक सोच की आवश्यकता नहीं है। संपादकीय में कहा गया है कि सेक्युलर पार्टियां लगातार यह आश्वासन देती आ रही हैं कि वे देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह मानने पर विवश होना पड़ रहा है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है। संपादकीय का दावा है कि "आरएसएस के सहयोगी संगठन 'अभिनव भारत' ने - जिसका मुख्यालय इजरायल की राजधानी में बताया गया है - भारत का नया संविधान और राष्ट्र ध्वज तैयार कर लिया है। इस बात का खुलासा वर्ष 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में अदालत में दायर चार्जशीट में किया गया था।"

संपादकीय के अनुसार आज देश के हर उच्च पद पर और यहां तक कि न्यायपालिका में भी आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। किसी भी महत्वपूर्ण पद पर मुसलमानों के लिए कोई स्थान

नहीं है। अगर कुछ मुसलमान अहम पदों पर हैं भी तो उन्हें प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसका ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल की एक आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो का है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए 'अस्सलामु अलैकुम' और भाषण के अंत में 'इंशा अल्लाह' कहा था। उनकी इस बात से चिढ़कर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें सजा का फरमान सुना दिया और बुशरा का तबादला कर दिया गया।

हालांकि, आईपीएस अधिकारी की यह हरकत गैर-कानूनी नहीं है। इससे साफ है कि देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है और एक मुस्लिम अधिकारी 'सलाम' भी नहीं कर सकता। हर कदम पर संविधान और देश के सेक्युलरिज्म को कुचला जा रहा है। बुशरा बानो का मामला मामूली नहीं है। इस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कदम उठाया है, वह असंवैधानिक और निंदनीय है। इस पर राष्ट्रपति को फौरन संज्ञान लेना चाहिए। हर मुसलमान को यह समझ लेना चाहिए कि अब यह देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन चुका है, जिसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है।

हिंदुस्तान (16 सितंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भाजपा ने 2029 के आम चुनावों के लिए अभी से ही चुनावी एजेंडा तय कर लिया है। पिछले 12 सालों से पार्टी 'सबका साथ सबका विकास' का नारा लगाकर जनता की आंख में धूल झोंकती रही है। अब भाजपा के नेता यह महसूस कर रहे हैं कि देश की जनता उनके इस फ्रॉड के चक्कर में नहीं आने वाली है, इसलिए उसने भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर बांटने का अभियान फिर से तेज कर दिया है। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि एनडीए में शामिल अधिकांश पार्टियां यूसीसी लागू करने का विरोध कर चुकी हैं। सवाल यह है कि जब सत्तारूढ़ दल के अपने ही सहयोगी इसे लागू करने पर सहमत नहीं हैं तो फिर अमित शाह ने यह घोषणा कैसे कर दी?

एतेमाद (16 सितंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि यूसीसी केंद्र में सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक एजेंडा है। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या यह भारत जैसे बहु-धार्मिक देश के स्वरूप पर कुठाराघात नहीं है? अजीब बात है कि एक ओर तो सरकार देश के सभी वर्गों पर यूसीसी लागू करने का दावा करती है, दूसरी ओर उसे इस कानून को आदिवासियों पर लागू करने की हिम्मत नहीं है। सवाल यह है कि इस कानून से देश के आम नागरिकों को क्या मिलेगा और क्या विभिन्न धर्मों तथा जातियों के धार्मिक स्वरूप बरकरार रह सकेंगे?

उर्दू टाइम्स (15 सितंबर) ने कहा है कि एनडीए में शामिल अधिकांश पार्टियां देश में यूसीसी लागू करने का विरोध कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यह समझते हैं कि अगर उन्होंने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया तो उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। यही स्थिति नीतीश कुमार की जेडीयू की भी है। अगर ये दोनों पार्टियां मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा करती हैं तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। हालांकि, मुख्य सवाल यह है कि क्या

इन दोनों नेताओं की कथनी और करनी में चल रहा अंतर समाप्त हो जाएगा? भाजपा का जादू तेजी से खत्म हो रहा है और देश के बहुसंख्यक हिंदू अब उसकी जादुई घोषणा से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वे इस काले कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दें।

हमारा समाज (15 सितंबर) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल यूसीसी की आड़ में मुसलमानों पर अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को थोपना चाहता है। यूसीसी लागू करने से मुसलमानों के शरिया कानून का पूरा स्वरूप खत्म हो जाएगा और उनकी अलग पहचान मिट जाएगी।

मुंसिफ (15 सितंबर) ने कहा है कि अमित शाह का एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का बयान भारतीय संविधान, इस्लाम और शरिया की भावना के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम का हिस्सा है और इसे अल्लाह ने लागू किया है। इसमें किसी भी संस्था या सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि सरकार अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार मुसलमानों के शरिया कानून में हस्तक्षेप कर रही है। तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वसीयत, हिबा (उपहार) और गोद लेने से जुड़े कानून मुसलमानों पर जबरन थोपे जा रहे हैं। शरिया की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि मुसलमान जागरूक हों। यह कानूनी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि आज न्यायपालिका में बैठे हुए लोग एक विशेष प्रकार की मानसिकता रखते हैं, जिनसे मुसलमानों को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

सहारनपुर में अवैध मस्जिद गिराए जाने पर बवाल

इंकलाब (6 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक मस्जिद को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जिसे मुस्लिम पक्ष लगभग 115 वर्ष पुराना बता रहा है। इसके विपरीत राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का दावा है कि यह मस्जिद सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे लंबी कानूनी प्रक्रिया और अदालत के आदेश के बाद ही ध्वस्त किया गया है। इस मस्जिद के ध्वस्त किए जाने का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उठाया जा रहा है। 'अल जजीरा' और अन्य विदेशी मीडिया माध्यमों ने इस ध्वस्तीकरण के वीडियो को अरब देशों में प्रसारित किया है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के खिलाफ मुस्लिम देशों की भावनाओं को भड़काना है।

मस्जिद प्रबंधन समिति का दावा है कि उनके पास इस मस्जिद से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं, जिनके अनुसार यह मस्जिद वर्ष 1911 में बनाई गई थी। बाद में इसी भूमि पर सरकारी कलेक्ट्रेट परिसर का निर्माण हुआ। इस मस्जिद को सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जिला अदालत द्वारा अपील खारिज होने के बाद ध्वस्त किया गया है। इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई से पहले इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और रातों-रात इसका मलबा उठाकर 10 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,

कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने इस मस्जिद के गिराए जाने की कड़ी निंदा की है।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस घटना को सरकार की मुस्लिम विरोधी नीति का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वह मुसलमानों का उपासना स्थल है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद द्वारा पारित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की मौजूदगी के बावजूद मस्जिदों और दरगाहों को राजनीतिक कारणों से अपना निशाना बना रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह मस्जिद 115 वर्ष पुरानी है। इससे संबंधित सभी दस्तावेज अदालत में पेश किए गए थे, लेकिन सरकारी दबाव के कारण अदालत ने इन दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दिया।

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा है कि किसी धार्मिक स्थल को इस तरह से ध्वस्त करना तानाशाही का सबूत है। उन्होंने दावा किया कि वे इस घटना की सूचना मिलने के बाद सहारनपुर जाना चाहती थीं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों से अपील की है कि वे उत्तेजित न हों और सड़कों पर न उतरें, क्योंकि इससे उन्हें ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को कानूनी तौर पर हल करने का प्रयास किया जाए।

औरंगाबाद टाइम्स (12 सितंबर) के अनुसार मस्जिद को गिराए जाने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर अहमद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि सहारनपुर प्रशासन की यह कार्रवाई भारतीय संविधान की धारा 227 का उल्लंघन है। इस याचिका में सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह और जिला न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार के फैसलों को चुनौती दी गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ मस्जिद के प्रबंधक मौलवी अब्दुल हमीद को भी प्रतिवादी बनाया गया है। मामले में एकल पीठ के न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा मस्जिद प्रबंधन समिति पर लगाए गए छह करोड़ 41 लाख रुपये के हर्जाने की वसूली पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 सितंबर) के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित लगभग 100 साल पुरानी शाही मस्जिद को हटाने के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर दोनों याचिकाओं को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद गोपाल मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण की योजना में आ रही कानूनी बाधा दूर हो गई है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।

कौमी भारत (8 सितंबर) ने अपने एक समाचार में कहा है कि जिला प्रशासन ने देवबंद स्थित चार मस्जिदों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।

कौमी तंजीम (5 सितंबर) के अनुसार संभल के चौधरी सराय के मुख्य चौराहे पर स्थित बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद के सरकारी जमीन पर बने होने के दावे की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी

समिति ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी थी तो इसे ध्वस्त करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? यह निश्चित रूप से मुसलमानों के अस्तित्व के लिए एक खतरे की घंटी है।

हिंदुस्तान (9 सितंबर) में प्रकाशित एक लेख में सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने की निंदा की गई है। समाचारपत्र ने लिखा है कि यह मुसलमानों के लिए एक ऐसा सबक है, जिसे उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है। सहारनपुर की मस्जिद का मलबा यह पैगाम दे रहा है कि मुस्लिम समाज अपनी गफलत (लापरवाही) को खत्म करे और अपनी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों व ईदगाहों की हिफाजत के लिए मैदान में आगे आए।

है। इस संबंध में श्री कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी ने जिलाधिकारी से जांच करवाने की मांग की थी।

एतेमाद (9 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित मुस्तफा मस्जिद को भी जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

देश के विभिन्न राज्यों में अवैध रूप से बनी मस्जिदों को दिए जा रहे नोटिसों पर उर्दू अखबारों ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों के खिलाफ एक जिहाद छेड़ दिया है।

उर्दू टाइम्स (6 सितंबर) ने अपने संपादकीय में सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने की निंदा की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि यह मामला सिर्फ सहारनपुर तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से भाजपा शासित राज्य सरकारों ने अवैध निर्माण की आड़ में देश भर में मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और मजारों को ध्वस्त करने का अभियान छेड़ रखा है। हालांकि, इस संबंध में अदालतें बार-बार निर्देश दे चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया है। सवाल यह है कि जब इस मस्जिद की प्रबंधन

हमारा समाज (9 सितंबर) ने अपने संपादकीय में मुस्लिम प्रतिनिधियों से अपील की है कि राजनीति में उनकी गफलत के कारण मुस्लिम अधिकारों का जिस तरह से हनन हो रहा है उसे देखते हुए उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 सितंबर) ने सहारनपुर की मस्जिद का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह मर्सिया (शोक-गीत) केवल एक मस्जिद का नहीं, बल्कि हमारी संवेदनहीनता और दीन (धर्म) से दूरी का सबूत है। हमारे अंदर इस्लाम की तड़प धीरे-धीरे खत्म हो गई है। अब चारों तरफ मस्जिदों, खानकाहों और कब्रिस्तानों को गिराया जा रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 सितंबर) ने कहा है कि जिस तरह से देश में भाजपा, मोदी और योगी के खिलाफ जनाक्रोश उभर रहा है, उसे देखते हुए अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी मुस्लिम शहर में किसी विख्यात मस्जिद और मदरसे की मौजूदगी को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद भी निशाने पर है।

सहारनपुर की 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद सांप्रदायिक सरकार के लिए आसान शिकार बनी है। इसके लिए रातों-रात योजना बनाई गई और हिंदुत्ववादी ताकतों ने एक बेरहम व बेलगाम गिरोह को यह कार्य सौंप दिया कि वे अदालती कार्रवाई की आड़ में इस ऐतिहासिक इमारत का सफाया कर दें।

समाचारपत्र ने आगे लिखा है कि अब देश के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दामन थामें, क्योंकि उनकी एक दहाड़ से ही मुसलमानों में नया जोश पैदा हो जाता है। मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों, संगठनों और तथाकथित नेताओं को अपने शानदार कार्यालयों में पत्रकार सम्मेलन आयोजित करने और सोशल मीडिया के जरिए दिल की भड़ास निकालने का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। आखिर वे कब तक अपनी मस्जिदों और मदरसों को ध्वस्त किए जाने का केवल जुबानी विरोध करते रहेंगे? क्या हम इससे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे?

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 सितंबर) ने कहा है कि मुसलमानों को केवल सरकार को दोषी ठहराने के बजाय अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। सहारनपुर की घटना मुसलमानों और उनके धार्मिक संस्थानों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। मुसलमानों को अब इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि उनकी कोई 100 साल पुरानी मस्जिद भी पूरी तरह सुरक्षित है। उन्हें अपने दस्तावेजों को संभालकर रखना चाहिए ताकि वे अदालतों में अपने दावे को मजबूती से साबित कर सकें।

एतेमाद (13 सितंबर) में प्रकाशित अपने लेख में मासूम मुरादाबादी ने दावा किया है कि देश भर में मस्जिदों को अवैध बताकर उन्हें ध्वस्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे सरकारी मशीनरी ने सांप्रदायिक संगठनों के सहयोग से मस्जिदों के खिलाफ देश भर में जंग का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इस देश में हजारों मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हैं, लेकिन आज तक उन्हें एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया। अजीब बात है कि सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई 2026 को मस्जिद को अवैध घोषित करके उसकी प्रबंधन समिति पर छह करोड़ 41 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। लेखक ने कहा है कि जिन मस्जिदों को अपने इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने के लिए एक एक पैसे का प्रबंध करना पड़ता है, वे करोड़ों रुपये कहां से लाएंगी?

अवधनामा (11 सितंबर) ने कहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में जो सांप्रदायिकता की आग भड़की थी, उसके कारण भाजपा एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इससे हिंदुओं को यह महसूस होने लगा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का समय आ गया है। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में सांप्रदायिकता के जहर को रोकने के बजाय आतंकवाद की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा। बम धमाकों और फर्जी आतंकवाद की खबरों के कारण हिंदुओं में एक संदेश गया कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मनमोहन सिंह सरकार देश को सुरक्षा देने में विफल है। इस स्थिति का लाभ भाजपा ने उठाया। गुजरात दंगों के बाद नरेन्द्र मोदी एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उभरे और उन्होंने बहुसंख्यक समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना भड़काकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। उनके सत्ता में आने के बाद अब मुसलमानों के लिए जीना दूभर हो रहा है। मुसलमानों की शरीयत व इस्लाम को मिटाने के लिए नित नए कानून बनाए जा रहे हैं और मुसलमान बेबस तथा मजबूर है। ■

इस्लाम और शरिया की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा

इंकलाब (1 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाम और शरिया की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली से होगी और यह आंदोलन तीन महीने तक जारी रहेगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बोर्ड के उपाध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी समेत कई नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसे हालात पैदा हुए हैं, जिनके कारण मुसलमानों को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण नीतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अब इस देश में इस्लाम, मुसलमान और उनका शरिया सुरक्षित नहीं हैं। मुसलमानों को भीड़ द्वारा हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है।

संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया गया है कि मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने का अभियान चल रहा है तथा वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इसके साथ ही मुसलमानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां हो रही हैं और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। हालांकि, देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की गारंटी दी गई है और उनके धार्मिक व शैक्षणिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही गई है। इसके बावजूद कई राज्यों में यूसीसी कानून लागू करके मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त किया जा रहा है और मुसलमानों पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जबरन थोपा जा रहा है।

बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि वह मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज की सेक्युलर विचारधारा से संबंधित संगठनों और चिंतकों का सहयोग प्राप्त करेगा। इसका उद्देश्य देश में मुसलमानों के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण करना है। साथ ही उनकी मस्जिदों, मकबरों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की भी रक्षा करना है। संवाददाता सम्मेलन में यह भी घोषणा की गई कि मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के अभियान के बारे में एक 'व्हाइट पेपर'

प्रकाशित किया जाएगा। इसे मीडिया, मानवाधिकार संगठनों, चिंतकों, जनप्रतिनिधियों और सेक्युलर विचारधारा के समर्थकों के सामने पेश किया जाएगा ताकि मुसलमानों के खिलाफ सत्ताधारी दल द्वारा चलाए जा रहे अभियान का पर्दाफाश किया जा सके।

संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की गई कि देश के न्यायप्रिय, लोकतांत्रिक और संविधान में आस्था रखने वाले सभी वर्गों, धार्मिक-सामाजिक संगठनों, वकीलों और सिविल सोसाइटी के सहयोग से देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन का लक्ष्य शरिया की रक्षा करना, कानून का निष्पक्ष क्रियान्वयन, न्याय की प्राप्ति तथा सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। इस आंदोलन के संचालन के लिए एक 'मजलिस-ए-अमल' (एक्शन कमेटी) का गठन किया जाएगा। इसके तहत देश के हर राज्य और जिले में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति तक पहुंचाने का अनुरोध किया जाएगा ताकि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे कुठाराघात को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन करके मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय व भेदभाव के खिलाफ जनमत जाग्रत किया जाएगा।

कौमी भारत (2 सितंबर) के अनुसार नई दिल्ली में देश के प्रमुख मुस्लिम चिंतकों और नेताओं का एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में मुसलमानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक 51 सदस्यीय 'राष्ट्रीय निगरानी कमेटी' के गठन की घोषणा की गई। यह कमेटी भारतीय मुसलमानों के अधिकारों से संबंधित मामलों में संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक एक्शन प्लान तैयार करेगी। इस कमेटी में देश के चुनिंदा सामाजिक, धार्मिक, कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और अन्य मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि यह कमेटी मुसलमानों के संवैधानिक, धार्मिक, कानूनी, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करेगी। नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह भारतीय मुसलमानों की ओर से एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि वे यहां किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं, बल्कि यह बताने आए हैं कि इस देश में हर नागरिक के अपने अधिकार हैं, जिनका किसी भी कीमत पर हनन नहीं होना चाहिए।

पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि इस कमेटी का गठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के विरोध में नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शरिया के मामले में हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधीन हैं और उसी के दिशा-निर्देश पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। नदीम खान ने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों के मकानों, मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तबाह किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुसलमानों के शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त करने का भी अभियान चलाया जा रहा है। देशभर में मदरसों को बंद किया जा रहा है ताकि मुसलमान अपने खुदा, रसूल और कुरान से दूर हो जाएं और उनका कोई वजूद न रहे। आज इस्लाम व मुसलमान खतरे में हैं और

उनकी रक्षा के लिए सेक्युलर विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है। इस कमेटी के सचिवालय की निगरानी के लिए एक 10 सदस्यीय बोर्ड अलग से बनाया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 सितंबर) के अनुसार इस सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि देश के किसी भी हिस्से में मुसलमानों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा तो वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए इस कमेटी के प्रतिनिधियों को घटनास्थल पर भेजा जाएगा। ये प्रतिनिधि वहां के स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों से बातचीत करके जमीनी हकीकत को समझेंगे। इस बैठक में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी विशेष रूप से मौजूद थे।

संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों की आलोचना

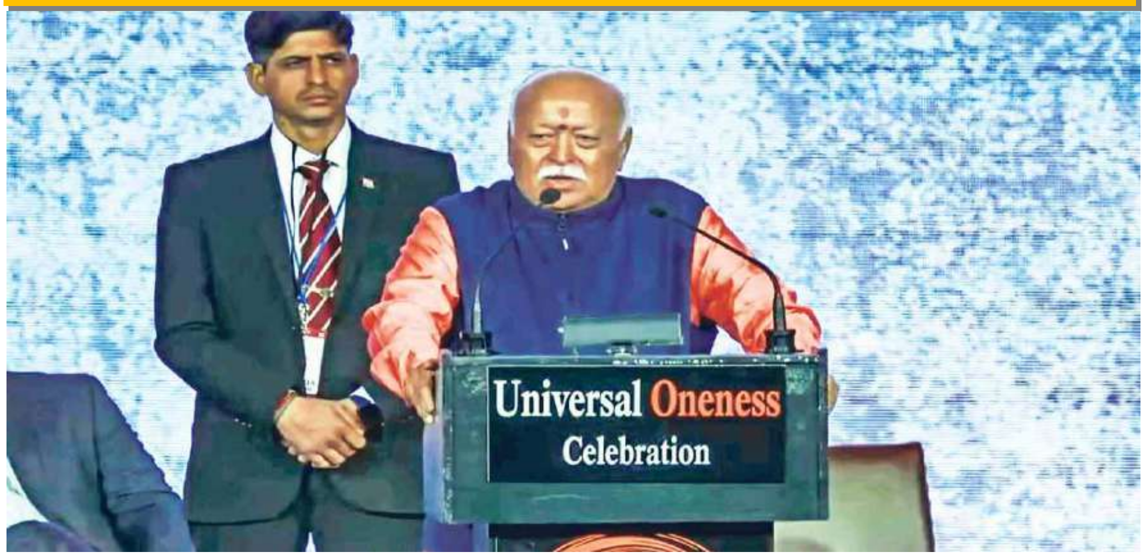

उर्दू अखबारों का भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के खिलाफ अभियान पूर्ववत जारी है।

इंकलाब (4 सितंबर) ने अपने समाचार में दावा किया है कि अमेरिका के दो धार्मिक नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें जिस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था उसके बारे में उन्हें यह सूचना नहीं दी गई थी कि इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे। इन दोनों नेताओं ने इस कार्यक्रम के आयोजकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने तथ्यों पर पर्दा डालकर उन्हें गुमराह किया है।

गौरतलब है कि मोहन भागवत ने पिछले दिनों न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित 'वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी' कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में पांच हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया था। न्यूयॉर्क के रिवरसाइड चर्च की वरिष्ठ पादरी एड्रिएन थॉर्न ने आरोप लगाया है कि आरएसएस द्वारा भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है उसे देखते हुए अगर उन्हें पहले से जानकारी होती कि इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख भाग लेंगे तो वे उसमें कभी नहीं जातीं।

न्यूयॉर्क के मुस्लिम धर्मगुरु इमाम शम्सी अली ने भी इसी तरह की शिकायत की है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम के आयोजकों ने उन्हें आने का निमंत्रण तो दिया था, लेकिन उस निमंत्रण में यह बात छिपाई गई थी कि इसमें

मोहन भागवत को सम्मानित किया जाना है। इमाम ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें इस बात की जानकारी होती तो वे इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते। इमाम ने कहा कि मोहन भागवत द्वारा न्यूयॉर्क में मुसलमानों के बारे में दिया गया बयान सबसे बड़ा झूठ है और इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस कार्यक्रम में भाग लेना उनकी एक बड़ी गलती थी। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि आरएसएस ने अपने अल्पसंख्यक विरोधी मंसूबों पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था।

औरंगाबाद टाइम्स (3 सितंबर) के अनुसार अमेरिका के कम से कम 90 राजनीतिक नेताओं के एक समूह ने यह प्रतीज्ञा ली है कि वे किसी भी ऐसे हिंदू संगठन से कोई संबंध नहीं रखेंगे, जिसका जुड़ाव आरएसएस से हो। इस संबंध में अमेरिकी मीडिया में छह पृष्ठों का एक सामूहिक प्रतिज्ञा-पत्र जारी किया गया है। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, रॉबिन केली और अब्दुल अल-सईद आदि शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई है कि वे आरएसएस या उसके सहयोगियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था से चुनाव के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं लेंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाल ही में उन्हें एक अरबपति से 6600 डॉलर का चंदा मिला था, लेकिन उसके तार आरएसएस से जुड़े होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने उस धनराशि को वापस करने का फैसला किया है।

जिन नेताओं ने यह प्रतिज्ञा ली है वे अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव अभियान चलाने और फंड जुटाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे अमेरिका में आरएसएस को 'पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' बनाने या अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने से रोकना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया में स्थानीय संगठनों द्वारा देश में आरएसएस के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इससे जुड़े लोगों और संगठनों से चुनावी चंदा न लेने की अपील की जा रही है।

इंकलाब (4 सितंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में दिया गया बयान स्वागत योग्य है कि "जो हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, वह हिंदू हो ही नहीं सकता।" हालांकि, संपादकीय में कहा गया है कि मोहन भागवत को यह स्पष्ट करना होगा कि यदि मुसलमानों को भारत से निकालने, उनका सामाजिक बहिष्कार करने, उन्हें पाकिस्तान भेजने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले हिंदू नहीं हैं तो आरएसएस ने आज तक ऐसे तत्वों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं? क्या भागवत का यह बयान सिर्फ न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए था और भारत में इसकी कोई जमीनी कीमत नहीं है? आज देश के विभिन्न हिस्सों से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषणों और हिंसा की खबरें आ रही हैं। कई स्थानों पर उनके धार्मिक स्थलों और संपत्तियों को बुलडोजरों से तबाह करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे माहौल में केवल यह कह देना काफी नहीं है कि भारत मुसलमानों का भी है,

बल्कि इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है कि इस बहुसांस्कृतिक सोच का विरोध करने वाले तत्वों के खिलाफ अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है?

समाचारपत्र के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां सऊदी अरब से उमराह करके लौटे एक व्यक्ति ने जब सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ अपनी तस्वीर अपलोड की तो उसे ऑनलाइन नफरत का निशाना बनाया गया। यह समस्या किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून के शासन पर सवाल खड़ा करती है। मुख्य सवाल यह है कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? इसके साथ ही आरएसएस नेतृत्व के सामने भी यह सवाल उठता है कि यदि वे भारत के मुसलमानों को हिंदुओं की तरह ही बराबर का नागरिक मानते हैं तो ऐसी घृणा फैलाने वाली घटनाओं पर उनकी तरफ से कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाया जाता?

मुंबई उर्दू न्यूज (12 सितंबर) ने चेतावनी दी है कि भारतीय मुसलमानों को इस भ्रांति का शिकार नहीं रहना चाहिए कि आरएसएस मुसलमानों का हमदर्द बन रहा है, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में दिया गया बयान दिल बहलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन संघ प्रमुख को उनके शब्दों की खूबसूरती से नहीं, बल्कि संघ के पुराने रवैये, विचारधारा और उसकी जमीनी हरकतों की रोशनी में परखा जाना चाहिए। सवाल यह है कि अगर मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती तो यह बात आज भी क्यों कहनी पड़ रही है? क्या मुसलमानों का भारत में रहना किसी की अनुमति का मोहताज है? मुसलमान भारत के नागरिक हैं। वे किसी संगठन या किसी बहुसंख्यक समाज की मेहरबानी से रहने वाले मेहमान नहीं हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, सिर्फ उनकी उपासना पद्धति अलग-अलग है। साल 2025 में उन्होंने यह भी कहा कि संघ धार्मिक आधार पर किसी पर हमला करने में विश्वास नहीं रखता और इस्लाम के भारत में न रहने की कल्पना कोई हिंदू नहीं कर सकता। असल सवाल यह है कि क्या ये दावे सिर्फ बयानों तक ही सीमित हैं? क्या आज तक संघ का मुस्लिम विरोधी रवैया बदला है? संघ के दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर स्पष्ट रूप से मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को इस देश का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। हकीकत यह है कि आरएसएस की आज भी वही विचारधारा है जो सौ साल पहले थी। सवाल यह है कि भागवत ने जो लंबे-चौड़े दावे अमेरिका में किए हैं उन्हें भारत में कब लागू किया जाएगा?

उर्दू टाइम्स (5 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में सीना तानकर यह बयान दिया है कि भारत के मुसलमान भारतीय हैं और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों दिल्ली में एक पुलिस थाने में दो मुस्लिम पत्रकारों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, क्या वह मोहन भागवत के दावे के अनुरूप है। हकीकत यह है कि देश में दिन-प्रतिदिन

मुसलमानों के प्रति नफरत की आग भड़काई जा रही है और उन पर जानलेवा हमलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

पिछले तीन-चार दिनों के भीतर ही देश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। त्रिपुरा में एक मुस्लिम पशु व्यापारी जब एक गाय खरीदकर अपने घर लौट रहा था तो कुछ कथित गोरक्षकों की भीड़ ने गो-तस्करी के संदेह में उसे बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। यह एक कड़वी सच्चाई है कि गाय की आड़ में मुसलमानों की हत्या की जा रही है। मोहन भागवत के बयान के बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हिंदुस्तान (7 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि संघ प्रमुख के दावों और देश की वास्तविक स्थिति में कोई समानता नहीं है। उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। मोहन भागवत जिस सामाजिक एकता और आपसी सद्भावना पर जोर देते हैं, जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। यह एकता तभी संभव है, जब बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करे। दोनों समुदायों के बीच फासले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे एक-दूसरे के साए से भी डरने लगे हैं। किसी भी मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना और टोपी पहनना जोखिम बन गया है। देश की आजादी के 80 साल बाद भी अगर मुसलमानों को अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़े तो यह शर्म की बात है।

समाचारपत्र का कहना है कि अगर यह देश सबका है तो यहां "मुसलमानों के दो स्थान, एक पाकिस्तान दूसरा कब्रिस्तान" जैसे जहरीले नारे क्यों लग रहे हैं? आज मुसलमानों के मकानों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), यूसीसी और वक्फ के नए कानून की आड़ में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये कदम संघ परिवार के रवैये को साफ करते हैं। इससे मोहन भागवत के दावे का दोहरापन पूरी तरह खुलकर सामने आता है।

पश्चिम बंगाल में 252 मदरसे बंद करने का आदेश

इंकलाब (14 सितंबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बिना मान्यता के चल रहे 252 मदरसों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही गंभीर अनियमितताओं को लेकर 100 से अधिक अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन मदरसों के पास आवश्यक सरकारी मंजूरी, पंजीकरण और बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई है। यह कार्रवाई अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। विभाग के मंत्री क्षुदीराम टुडू ने कहा है कि जिन मदरसों को नोटिस जारी किया गया है, यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर या अपनी वैधता का प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि 2026-27 के बजट में पश्चिम बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित फंड

को 5713 करोड़ रुपये से घटाकर 2165 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार का दावा है कि जून महीने में पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मदरसों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बाद इन अवैध या बिना मान्यता वाले मदरसों को बंद करने का निर्णय लिया गया। बंद होने वाले मदरसों में सबसे अधिक 44 मदरसे मालदा जिले में हैं, जबकि उत्तरी दिनाजपुर में 37 मदरसे और दक्षिण 24 परगना में 32 मदरसे बंद किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में प्रार्थना के दौरान 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले इन मदरसों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' और कवि गुलाम मुस्तफा द्वारा रचित इस्लामी गीत 'अनंत असीम प्रेममय तुमी' गाए जाने का चलन था।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 सितंबर) के अनुसार उत्तराखंड में मदरसों से संबंधित नया कानून लागू होने के बाद राज्य के पूर्व पंजीकृत 452 मदरसों में से 179 बंद हो चुके हैं, जबकि 19 मदरसों को नियमों के उल्लंघन के आरोप में सील कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत कुल 134 मदरसों ने मान्यता के लिए नए सिरे से आवेदन किया है, जिनमें से अब तक 30 के आवेदनों को स्वीकार कर मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 54 मदरसों ने अभी तक नई व्यवस्था के तहत कोई आवेदन नहीं किया है। हरिद्वार जिले में पहले 270 मदरसे पंजीकृत थे, जिनमें से अब तक केवल 21 को मान्यता दी गई है, जबकि 102 मदरसे बंद हो चुके हैं और चार को सील किया गया है। ऊधम सिंह नगर जिले में पहले 119 मदरसे पंजीकृत थे, जिनमें से केवल चार को मान्यता दी गई है, जबकि 48 मदरसों की मान्यता का मामला अभी विचाराधीन है और शेष सभी मदरसे बंद हो चुके हैं। देहरादून में पहले 21 मदरसे पंजीकृत थे, जिनमें से तीन को मान्यता दी जा चुकी है और आठ की मान्यता का मामला विचाराधीन है। बाकी मदरसे बंद कर दिए गए हैं। नैनीताल जिले में पहले 18 मदरसे पंजीकृत थे, जिनमें से सिर्फ दो को मंजूरी मिली है और बाकी सभी मदरसों को बंद कर दिया गया है। वहीं, अल्मोड़ा, चम्पावत और पिथौरागढ़ में संचालित होने वाले सभी मदरसों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित नए

नियम लागू कर दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के अल्पसंख्यक स्कूलों और मदरसों को जिला शिक्षा अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी, जबकि नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षण संस्थान इन तय मानकों और नियमों का पालन नहीं करेगा, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार के आने के बाद से ही इस्लामी मदरसों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विशेष रूप से उन जिलों में मदरसों को बंद किया जा रहा है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। सरकार का उद्देश्य मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा से वंचित करना है।

उर्दू टाइम्स (8 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुस्लिम संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। ■

पाकिस्तान में आसिम मुनीर के सैन्य तानाशाह बनने की तैयारी

कौमी भारत (6 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने देश की सत्ता और सैन्य व्यवस्था को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने के लिए संसद का सहारा लिया है। पाकिस्तान ने पांच दशकों के बाद अपने सैन्य ढांचे में बुनियादी बदलाव किया है। देश के इतिहास में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायु सेना को एक ही सर्वोच्च कमान के अधीन लाने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किया गया है। संसद में पारित इस नए कानून के जरिए तीनों सेनाओं का संपूर्ण नियंत्रण 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' नामक एक नए पद को सौंपने का फैसला किया गया है।

गौरतलब है कि वर्तमान में आसिम मुनीर पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख के अतिरिक्त 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' का नया पद भी संभाल रहे हैं। पाकिस्तानी संसद ने अगस्त 2026 में 'डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 2026' और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट, 2010' में संशोधन करने का फैसला किया था। अब संसद ने अपने विशेष सत्र में इन दोनों महत्वपूर्ण संशोधनों को पारित कर अपनी पूर्ण कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इससे पहले नवंबर 2025 में 27वां संविधान संशोधन करके पाकिस्तान के सैन्य ढांचे के पुनर्गठन के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया था। इस नए संशोधन के अनुसार 'चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी' के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' के नए पद का सृजन किया गया। पुरानी व्यवस्था में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कार्य केवल पाकिस्तानी सेना के तीनों अंगों में सीमित समन्वय स्थापित करना था। अब संविधान में किए गए नए संशोधन के अनुसार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सेना के तीनों अंगों की कमान संभालने और 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' के रूप में सभी सैन्य अभियानों के सर्वोच्च प्रमुख के तौर पर कार्य करने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है।

इसके अतिरिक्त अभी तक पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की व्यवस्था और उनके प्रयोग के

बारे में फैसला करने का अधिकार 'नेशनल कमांड अथॉरिटी' के अधीन 'स्टैट्रिजिक फोर्सेज कमांड' के पास था। अब इस रणनीतिक सैन्य विंग की कमान भी आसिम मुनीर के हाथ में आ गई है।

27वें संविधान संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई है कि भविष्य में वायु सेना या नौसेना का कोई अधिकारी 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पद अनिवार्य रूप से पाकिस्तानी थल सेना प्रमुख के पास ही रहेगा। पाकिस्तान के संविधान में इस बड़े बदलाव के बाद देश की चुनी हुई सरकार का नियंत्रण पाकिस्तानी सेना पर नहीं रहा है। किसी भी देश पर सैन्य कार्रवाई या रक्षा संबंधी बड़े निर्णय लेने का अधिकार अब संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बजाय नवगठित चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को सौंप दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में आसिम मुनीर के पक्ष में धुआंधार प्रचार के जरिए जो माहौल बनाया गया था, उसका लाभ उठाकर उन्होंने स्वयं को ही फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। बाद में इसकी पुष्टि नेशनल असेंबली (संसद) को भी करनी पड़ी। इस तरह से पाकिस्तान में प्रत्यक्ष तौर पर मार्शल लॉ लगाए बिना ही आसिम मुनीर अमेरिका की सहायता से पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बन गए हैं। पाकिस्तान के इतिहास में वे दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इससे पहले अयूब खान ने स्वयं को फील्ड मार्शल घोषित किया था। पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में अब तक चार बार मार्शल लॉ लागू करके तत्कालीन सेना प्रमुखों ने देश की बागडोर सीधे अपने हाथों में ली है।

पाकिस्तानी मामलों के जानकार इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि पाकिस्तान के निर्माण से लेकर अब तक हमेशा सेना सिविल प्रशासन पर हावी रही है। प्रधानमंत्री सेना के इशारे पर बनाए और हटाए जाते रहे हैं। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या और उसके बाद बढ़ते सैन्य हस्तक्षेप के कारण हुई थी।

पाकिस्तान की यह त्रासदी है कि उसके इतिहास में जनता द्वारा निर्वाचित किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले ही उन्हें किसी न किसी रूप में पद से हटा दिया गया या सेना द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। पाकिस्तान में अब तक कुल चार बार मार्शल लॉ लग चुका है और इस दौरान देश सैन्य तानाशाहों के नियंत्रण में रहा है। इनमें जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुर्शरफ शामिल हैं। जिया उल हक की तरह आसिम मुनीर को 'मौलवी जनरल' या 'हाफिज जनरल' के रूप में देखा जाता है। मुनीर के पिता रावलपिंडी के एक स्कूल में शिक्षक थे और साथ ही वहां की स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे। आसिम मुनीर की शुरुआती शिक्षा रावलपिंडी के एक मदरसे में हुई, जहां उन्होंने कुरान को कंठस्थ किया और वे एक 'हाफिज-ए-कुरान' बने।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान में आसिम मुनीर के तानाशाह के रूप में सत्ता हथियाने के बाद भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। अब आसिम मुनीर दिसंबर 2030 तक 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' के पद पर बने रहेंगे। इसके बाद उनके पास फिर से पांच साल का सेवा विस्तार पाने का कानूनी अधिकार होगा। हाल ही में चीन, तुर्किये और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को भारी मात्रा में आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त हुई है। इसके कारण आसिम मुनीर की स्थिति पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हो गई है।

20 लाख अफगान नागरिक स्वदेश लौटने को मजबूर

कौमी भारत (7 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में विभिन्न देशों से 20 लाख से अधिक अफगान नागरिक वापस स्वदेश लौटने को मजबूर हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इनमें से 16 लाख लोग अकेले पाकिस्तान से और बाकी के चार लाख लोग ईरान व अन्य देशों से अफगानिस्तान वापस आने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश लोग पिछले पांच दशकों से विदेशों में रह रहे थे और इनमें से आधे लोगों का जन्म इन्हीं देशों में हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसोस की बात है कि मुस्लिम देश होने के बावजूद विदेशी दबाव के चलते अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान आने पर विवश किया गया है। उन्होंने पुष्टि की है कि इन अफगान प्रवासियों के पुनर्वास के लिए अब तक अंतरराष्ट्रीय व घरेलू संस्थाओं से लगभग 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 48 मिलियन अफगानी करेंसी की सहायता प्राप्त हुई है।

मुजाहिद ने यह भी कहा कि विदेशों से जबरन अफगानिस्तान भेजे गए इन लोगों के पुनर्वास पर 10 अरब डॉलर खर्च होने की संभावना है। उन्होंने स्वीकार किया कि इन अफगान नागरिकों के वापस आने के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। उन्होंने शिकायत की कि इनके पुनर्वास के लिए विदेशी स्रोतों से जिस सहायता के प्राप्त होने की आशा थी, वह पूरी नहीं हुई है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ईरान, तुर्किये और सऊदी अरब आदि मुस्लिम देशों से जिन अफगान नागरिकों को जबरन स्वदेश भेजा गया है उन देशों के अधिकारियों ने इन अफगान नागरिकों से वह सारी धनराशि छीन ली थी, जो उन्होंने इन देशों में कमाई थी। उन्होंने विश्व के देशों से अपील की कि वे इस नाजुक घड़ी में मानवीय आधार पर दिल खोलकर सहायता करें।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने अवैध रूप से देश में रहने वाले अफगान घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसके तहत पिछले साल 19 लाख से अधिक लोगों को वापस उनके मूल देश में भेजा जा चुका है। अभी भी हजारों अफगान नागरिक छिपकर पाकिस्तान के

विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। उनका पता लगाने के लिए पाकिस्तानी सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया विभाग के विशेष दस्ते नियुक्त किए गए हैं। अब तक 26 लाख से अधिक अफगान नागरिक पाकिस्तान से निष्कासित करके अफगानिस्तान भेजे जा चुके हैं।

कौमी भारत (13 सितंबर) के अनुसार मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशल' ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि वह दो अफगान नागरिकों पत्रकार सैयद कासिम हाशमी और कलाकार हामिद एहसास के लापता हो जाने के बारे में फौरन जांच कराए और उनके ठिकाने का पता लगाए। संगठन ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी पुलिस ने इस्लामाबाद से रहस्यमय ढंग से उनके गायब हो जाने के बारे में कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया है।

हमारा समाज (8 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने निर्देश दिया है कि अफगान मूल के जो छात्र देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे तुरंत पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। बताया जाता है कि इस आदेश के कारण 200 से अधिक अफगान छात्रों को अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर स्वदेश लौटना होगा। पाकिस्तान सरकार ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे उनमें पढ़ रहे अफगान मूल के सभी छात्रों का प्रवेश रद्द कर दें और उनके नाम व पते की सूचना पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को दें ताकि उन्हें देश से निष्कासित किया जा सके।

सहाफत (5 सितंबर) के अनुसार तुर्किये सरकार ने सुरक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि देश में रहने वाले अफगान मूल के सभी प्रवासियों पर कड़ी नजर रखी जाए और उनकी सूची खुफिया विभाग को सौंपी जाए। समाचारपत्र के अनुसार तुर्किये सरकार का दावा है कि इस समय 10 लाख से अधिक अफगान नागरिक अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तुर्किये अब तक दो लाख से अधिक अफगान नागरिकों को देश से निष्कासित कर चुका है। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने संवाददाताओं को बताया कि किसी भी अवैध अफगान मूल के नागरिक को तुर्किये में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कई लोग देश विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और उनके तार एक विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं।

इंडोनेशिया का अफगानिस्तान को मान्यता देने से इनकार

हमारा समाज (8 सितंबर) के अनुसार इंडोनेशिया ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, काबुल में इस समय इंडोनेशिया का एक संपर्क केंद्र सक्रिय है। इसके प्रमुख ने संवाददाताओं को बताया कि इंडोनेशिया इस मुद्दे पर विश्व के अन्य देशों के साथ है और जब तक संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य देश अफगानिस्तान की

तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान नहीं करते तब तक इंडोनेशिया के लिए उसे मान्यता देना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के संबंध बहुत पुराने हैं और हम उसे बरकरार रखे हुए हैं। इंडोनेशिया यह प्रयास कर रहा है कि विश्व के अन्य देश अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार के बारे में सकारात्मक रुख अपनाएं, लेकिन अभी तक इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है।

उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) का सदस्य है। इसमें 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मुस्लिम देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इंडोनेशियाई संपर्क केंद्र के प्रमुख ने कहा कि तालिबान सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों को लागू करे। तालिबान सरकार को शरिया कानूनों को लागू करने के मामले में भी उदार नीति अपनानी चाहिए। गौरतलब है कि अभी तक रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है।

पाकिस्तान में अहमदी नेता की बेरहमी से हत्या

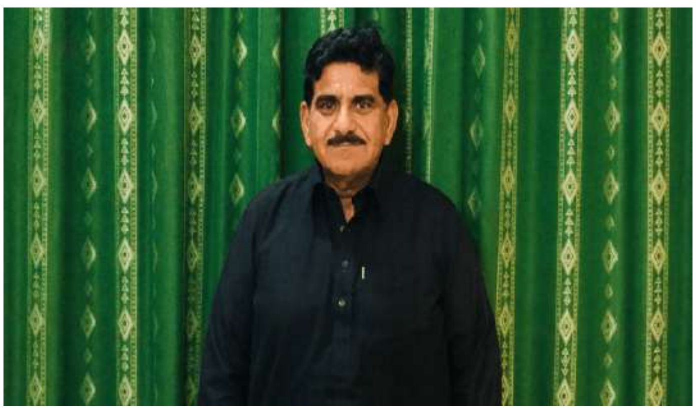

कौमी भारत (8 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तानी प्रांत पंजाब के मंडी बहाउद्दीन जिले में कुछ अज्ञात हमलावरों ने 65 वर्षीय अहमदी नेता मिर्जा सफदर महमूद की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना के विरोध में पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में अहमदिया संप्रदाय के लोगों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि अहमदियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। पुलिस के मुताबिक यह एक लक्षित हत्या है, जिसके पीछे कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों का हाथ होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार मिर्जा सफदर महमूद ईदगाह रोड़ पर कार मरम्मत का वर्कशॉप चलाते थे। जब वे अपने घर से वर्कशॉप के लिए निकले तभी रास्ते में मोटरसाइकिल सवार चार अज्ञात युवकों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। इस गोलीबारी में मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

मृतक के पुत्र ने इस संबंध में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गौरतलब है कि मंडी बहाउद्दीन में अहमदियों को निशाना बनाए जाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले इसी वर्ष जून महीने में जिले के सादुल्लाहपुर कस्बे में भीड़ द्वारा दो अहमदियों को दिनदहाड़े जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। वहीं, जनवरी महीने में सियालकोट में एक उत्तेजित भीड़ ने अहमदिया समुदाय के उपासना स्थल पर हमला कर उसमें आग लगा दी थी।

गौरतलब है कि वर्ष 1889 में अविभाजित पंजाब के कादियान में रहने वाले मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने स्वयं को इस्लाम का मसीहा और 'इमाम महदी' (मार्गदर्शक नेता)

घोषित किया। विवाद तब और बढ़ गया जब उन्होंने स्वयं को हजरत मुहम्मद के अधीन आने वाला पैगंबर घोषित कर दिया। उनके इस दावे के कारण मुसलमानों के साथ उनके गंभीर मतभेद पैदा हो गए, क्योंकि इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत मुहम्मद ही आखिरी पैगंबर हैं और उनके बाद कोई नया पैगंबर नहीं आ सकता। इन वैचारिक मतभेदों के कारण बाद में अहमदिया संप्रदाय दो भागों 'कादियानी' और 'लाहौरी' समूह में विभाजित हो गया। अहमदी समुदाय के लोग कुरान और शरिया को तो मानते हैं, लेकिन वे कुरान की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं।

पाकिस्तान के निर्माण आंदोलन में अहमदिया समुदाय ने अपने एक प्रमुख नेता सर जफरुल्लाह खान के नेतृत्व में सक्रिय रूप से भाग लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व का पूरा समर्थन किया था। बाद में जफरुल्लाह खान पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री भी बनाए गए। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के समय अहमदिया समुदाय के तत्कालीन खलीफा बशीरुउद्दीन महमूद अहमद अपने सहयोगियों के साथ पाकिस्तान चले गए और उन्होंने वहां झंग जिले के रबवाह में अपना नया मुख्यालय स्थापित किया। इसके बावजूद उन्होंने भारत के कादियान में भी अपनी गतिविधियों का संचालन जारी रखा। हालांकि, विभाजन के बाद पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों और कट्टरपंथियों के दबाव के कारण इस समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया गया। इसी सिलसिले में वर्ष 1953 में पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अहमदिया विरोधी दंगे हुए। इन दंगों में हजारों अहमदिया मारे गए। जमात-ए-इस्लामी के संस्थापक मौलाना अबुल आला मौदूदी तथा अन्य कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के नेताओं को इन दंगों का दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि, बाद में इन्हें जेलों से रिहा कर दिया गया।

वर्ष 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के शासनकाल में संविधान संशोधन करके अहमदियों को आधिकारिक तौर पर 'काफिर' करार दिया गया और उन्हें गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया। वर्ष 1984 में सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक के आदेश पर अहमदियों के धार्मिक प्रचार करने, अपनी इबादतगाहों को मस्जिद कहने और सार्वजनिक रूप से कुरान पढ़ने पर भी कानूनी पाबंदी लगा दी गई। उनके लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं और उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तानों में शव दफनाने की अनुमति भी नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने अहमदिया समुदाय के लोगों पर उमराह और हज यात्रा पर जाने के लिए भी कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में अहमदियों का उत्पीड़न लगातार जारी है।

बांग्लादेश में 11 विपक्षी दलों का लॉन्ग मार्च

कौमी भारत (12 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश के 11 विपक्षी दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की घोषणा की है। इन विपक्षी दलों ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक रहमान सरकार के

सरकार के सामने छह सूत्रीय मांग पत्र पेश किया है, जिसमें मुख्य मांग जनमत संग्रह है ताकि देश की जनता वर्तमान सरकार और देश के भविष्य के बारे में अपना निर्णय कर सके। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने अवामी लीग सरकार का तख्तापलट किया था, वे भी वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं।

भुइयां ने दावा किया कि सरकार ने जनता से जिन संवैधानिक सुधारों का वादा किया था, सत्ता में आने के बाद वह उन्हें भूल गई है। इस तरह से वर्तमान शासक दल ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में भी विफल रही है। देश में बिजली और प्राकृतिक गैस की भीषण कमी के कारण औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ा है, जिससे कई कारखाने बंद होने या उत्पादन घटने से लाखों मजदूर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में शांति व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है तथा अल्पसंख्यकों और उनके उपासना स्थलों पर हमलों में वृद्धि दर्ज की गई है।

खिलाफ ढाका के मोतीझील से एक 'लॉन्ग मार्च' शुरू कर दिया है। यह मार्च बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए इस महीने के अंत तक ढाका पहुंचेगा। वहां पर विपक्षी दलों द्वारा एक महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वर्तमान सरकार से इस्तीफे की मांग की जाएगी। इस लॉन्ग मार्च में एक हजार वाहन शामिल होंगे। मार्च के शुरू होने से पहले एक विपक्षी रैली को संबोधित करते हुए जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि इस विपक्षी गठबंधन में जमात-ए-इस्लामी के अतिरिक्त, नेशनल सिटीजन पार्टी और आमार बांग्लादेश पार्टी समेत 11 विपक्षी दल शामिल हैं।

गौरतलब है कि नेशनल सिटीजन पार्टी का गठन उन छात्र नेताओं ने किया है, जिनके हिंसक प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा था। आमार बांग्लादेश पार्टी के अध्यक्ष मुजीबुर रहमान भुइयां ने पत्रकारों को बताया कि वर्तमान सरकार बांग्लादेश के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि हमने

जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने बताया कि यह लॉन्ग मार्च लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और इसका समापन चटगांव के ऐतिहासिक लालदिघी मैदान में एक विशाल रैली से होगा। इस मौके पर बांग्लादेश के विपक्षी दलों के अगले कार्यक्रमों की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाएगी। ■

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों में भारी वृद्धि

उर्दू टाइम्स (16 सितंबर) के अनुसार यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। सऊदी सिविल डिफेंस ने एहतियात के तौर पर मक्का, जेद्दा और ताइफ जैसे प्रमुख शहरों के लिए आपातकालीन अलर्ट जारी किए हैं। सऊदी इतिहास में पहली बार मक्का क्षेत्र में किसी हवाई खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को घरों के भीतर सुरक्षित स्थानों पर रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के विभिन्न शहरों, तेल संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है।

मुंसिफ (16 सितंबर) के अनुसार सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने कहा कि बढ़ते खतरों और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए गठबंधन सेना सऊदी अरब की संप्रभुता और नागरिक बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। दूसरी ओर, हूतियों के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने उनके ठिकानों के खिलाफ एक व्यापक हवाई अभियान चलाया है, जिसके तहत यमन में 300 से अधिक बार हवाई हमले किए गए हैं।

हमारा समाज (16 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत हूती विद्रोही सऊदी अरब की नागरिक जनसंख्या और आर्थिक संस्थानों पर निरंतर हमले कर रहे हैं। इन हमलों की शुरुआत 8 सितंबर को हुई थी, जिसके बाद से हूती सऊदी अरब के कई ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। इन हमलों के कारण विदेशों को होने वाली सऊदी तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है। समाचारपत्र ने कहा है कि सऊदी अरब पर इराक की सीमा की ओर से भी हमले हुए हैं। हालांकि, इराक सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके पीछे उसका हाथ नहीं है।

समाचारपत्र ने चिंता प्रकट की है कि हूती मक्का ओर जेद्दा जैसे इस्लाम के पवित्र स्थानों को भी निशाना बना रहे हैं। इन हमलों के बाद 10 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया था। इन

हमलों की खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोपीय यूनियन, मिस्र, कतर, कुवैत, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया ने कड़ी निंदा की है।

समाचारपत्र ने इस बात पर भी चिंता प्रकट की है कि कुरान, रसूल और इस्लाम को मानने वाले देश एक-दूसरे को निशाना बना रहे हैं। समाचारपत्र ने अपील की है कि विश्व भर के देशों को सऊदी अरब का समर्थन करना चाहिए ताकि वे आक्रामक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। दुनिया भलीभांति जानती है कि हूतियों की आड़ में कौन सा देश सऊदी अरब को निशाना बना रहा है।

एतेमाद (15 नवंबर) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के जलमार्ग पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। उन्होंने लाल सागर के दक्षिण में स्थित दो महत्वपूर्ण टापुओं 'ग्रेटर हनीश' और 'लेसर हनीश' पर कब्जा कर लिया है, जो बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के समीप स्थित हैं। इस रास्ते से दुनियाभर को होने वाली तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर पहले से ही ईरान का नियंत्रण है। अब लाल सागर के इस जल मार्ग पर हूतियों का कब्जा होने से सऊदी अरब द्वारा विश्व भर को की जाने वाली तेल की आपूर्ति खतरे में पड़ गई है।

उल्लेखनीय है कि होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी में स्थित है, जबकि बाब अल-मंदेब सऊदी अरब के दक्षिण में यमन के तट के समीप स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और खुले समुद्र के साथ जोड़ता है। इसी महत्वपूर्ण रास्ते का उपयोग कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति के लिए किया जाता है।

पिछले दिनों हूतियों ने सऊदी अरब की तेल पाइप लाइन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद से सऊदी अरब की तेल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है। हाल ही में हूतियों ने सऊदी अरब के किंग खालिद हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से जबर्दस्त हमला किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सऊदी अरब के कई अन्य ठिकानों को भी अपना निशाना बनाया है, जिसके कारण सऊदी अरब के कई लड़ाकू विमान, रडार केंद्र और गोला बारूद के भंडार तबाह हो गए हैं।

हूतियों ने दावा किया है कि सऊदी सेना ने यमन के हवाई ठिकानों पर हमले किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी सेना ने यमन में उनके ठिकानों पर हमले जारी रखे तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर, सऊदी सरकार ने दावा किया है कि हूतियों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यमन सरकार के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था उन्हें सऊदी सेना ने मुक्त करवा लिया है। कई खाड़ी देशों और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने सऊदी अरब में हूतियों के हमलों की निंदा की है। ओआईसी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी ईरान से अपील की है कि वह युद्ध की आग भड़काने से बाज आए।

कौमी तंजीम (15 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि उनका देश सुरक्षा और संप्रभुता के सवाल पर किसी भी देश से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे

आवश्यकता पड़ी तो उनकी सहायता केवल सऊदी अरब के क्षेत्र तक ही सीमित होगी।

उर्दू टाइम्स (12 सितंबर) के अनुसार हूतियों ने पेरिम (मयून) द्वीप पर भी कब्जा कर लिया है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के मुताबिक हूती विद्रोही नाव में सवार होकर पेरिम द्वीप पर पहुंचे। उन्होंने इस क्षेत्र में स्थित सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों पर हमला किया और उस पर नियंत्रण कर लिया। यह द्वीप लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। इस रास्ते से सऊदी अरब दुनिया भर को अपने तेल की आपूर्ति करता है। इस द्वीप पर कब्जे को लेकर हुए संघर्ष में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें हूतियों की संख्या अधिक है। वहीं, यमन के पश्चिमी तट पर नियंत्रण को लेकर यमनी सेना और हूतियों के बीच घमासान युद्ध जारी है। इसके अतिरिक्त सऊदी वायुसेना भी हूतियों के ठिकानों पर हमले कर रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (13 सितंबर) के अनुसार सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से अुनरोध किया है कि वे हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में सऊदी अरब का सहयेाग करें और अपने युद्धपोतों को इस युद्ध में शामिल होने का निर्देश दें। लाल सागर के दो द्वीपों पर हूतियों के नियंत्रण के कारण इस क्षेत्र में ईरान की स्थिति मजबूत हुई है।

अवधनामा (11 सितंबर) के अनुसार हूती विद्रोहियों ने यमन के सबसे बड़े बंदरगाह मोखा पर कब्जा कर लिया है। इस संघर्ष के दौरान कम से कम 200 लोग मारे गए हैं और 900 लोग घायल हुए हैं। सऊदी अरब ने चीन से अनुरोध किया है कि वह ईरान पर दबाव डालकर इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास करे। ताजा सूचना के अनुसार हूतियों ने यमन के ताइज शहर पर भी

सऊदी अरब की सुरक्षा पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे।

कौमी तंजीम (14 सितंबर) के अनुसार यमन के प्रधानमंत्री शया मोहसिन अल-जिंदानी ने कहा है कि हूतियों की बढ़ती गतिविधियों के पीछे ईरान का हाथ है, जो सऊदी अरब और यमन की सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों से अपील की है कि वे ईरान पर दबाव डालें ताकि हूतियों के बढ़ते हमलों को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन हमलों में अब तक 500 से अधिक यमनी नागरिक मारे जा चुके हैं।

सियासत (11 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह ईरान पर हूतियों को युद्ध रोकने का निर्देश देने का दबाव बनाए। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने यह भी अनुरोध किया है कि अगर हूती विद्रोही सऊदी अरब पर किए जाने वाले हमले बंद नहीं करते हैं तो पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ की जाने वाली सैन्य कार्रवाई में सक्रिय सहयोग दे। सऊदी सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के पास यह मौका है कि वह सऊदी अरब और तुर्किये के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत इस मामले में हस्तक्षेप करे। दूसरी ओर, पाकिस्तान और तुर्किये ने स्पष्ट कर दिया है कि वे यमन में घुसकर हूतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर

कब्जा कर लिया है, जो मोखा से 60 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद बाब अल-मंदेब के पूरे क्षेत्र पर हूतियों का कब्जा हो गया है।

अवधनामा (14 सितंबर) के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट किया है कि ईरान सऊदी अरब से युद्ध नहीं कर रहा है और न ही उसका सऊदी अरब पर हमला करने का कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि हूती अपने दम पर युद्ध लड़ रहे हैं और हमारा उससे कुछ लेना-देना नहीं है।

एतेमाद (12 सितंबर) के अनुसार अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब की सहायता करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने बताया कि फिलहाल अमेरिका स्थिति का अध्ययन कर रहा है और उसका इरादा हूतियों के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करने का नहीं है। उसका पूरा ध्यान ईरान पर ही केंद्रित है।

सऊदी अरब पर हमला करने वाला इराकी सैन्य कमांडर बर्खास्त

औरंगाबाद टाइम्स (13 सितंबर) के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमला करने वाले सैन्य कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। रियाद और मदीना के क्षेत्रों में इराकी ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब ने ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइप लाइन को बंद कर दिया है। सऊदी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार इराक की ओर से किए गए इस हमले में कई लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं। इराकी प्रधानमंत्री के अनुरोध पर सऊदी सरकार ने फिलहाल जवाबी सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला किया है। इराक सरकार ने इस घटना की जांच कराई थी, जिसके बाद दक्षिणी इराक के मयसान प्रांत के सैन्य कमांडर को उनके पद से हटा दिया गया है। इराकी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक सरकारी बयान में घोषणा की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एतेमाद (14 सितंबर) के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इराकी भूमि का इस्तेमाल किसी पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य इराक की सुरक्षा और अखंडता को बरकरार रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इराक किसी अन्य देश के विवाद में नहीं उलझेगा और न ही अपने देश को युद्ध का मैदान बनने देगा।

उन्होंने कहा कि हम अपने देश से किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। हाल ही में सऊदी अरब पर जो हमला हुआ है उसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों इराक से सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए गए थे। इराकी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस हमले में शामिल सभी लोगों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमे चलाए जाएंगे।

इंकलाब (13 सितंबर) के अनुसार सऊदी सेना ने पुष्टि की है कि इराक से चलाए गए ड्रोनों ने रियाद और मदीना क्षेत्र में स्थित एक दर्जन ठिकानों को निशाना बनाया था।

सऊदी अरब में 11 करोड़ टन यूरेनियम अयस्क की खोज

उर्दू टाइम्स (15 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब में 11 करोड़ टन ऐसे अयस्क के भंडार मिले हैं, जिनमें यूरेनियम की मात्रा काफी अधिक है। गौरतलब है कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की बैठक को संबोधित करते हुए सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने बताया कि हाल ही में एक सर्वेक्षण में मदीना के समीप जबल सईद प्रोजेक्ट साइट में किए गए भूवैज्ञानिक अध्ययन के दौरान 11 करोड़ टन खनिज भंडार मिले हैं, जिनमें यूरेनियम और दुर्लभ खनिज तत्व भारी मात्रा में मौजूद हैं। सऊदी मंत्री ने कहा कि अभी तक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि इस खनिज (अयस्क) में शुद्ध यूरेनियम की मात्रा कितनी है और क्या उसे परमाणु ऊर्जा के संवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सऊदी सरकार के विजन-2030 के तहत तेल पर आर्थिक निर्भरता को कम करने और उसके बजाय वैकल्पिक स्रोत खोजने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण खोज है।

सऊदी मंत्री ने यह भी कहा कि सऊदी अरब में हम अन्य स्थानों पर भी यूरेनियम के भंडार तलाश करने के अभियान में जुटे हुए हैं, क्योंकि यूरेनियम से देश के औद्योगिक विकास को भारी गति मिल सकती है। सऊदी अरब के उत्तरी क्षेत्रों में फॉस्फेट उर्वरक से यूरेनियम निकालने के बारे में विचार किया जा रहा है। एक फ्रांसीसी कंपनी 'ओरानो' के सहयोग से यूरेनियम की खोज का अभियान चल रहा है। अभी तक जो भंडार मिले हैं, उनसे व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम प्राप्त करने की संभावना है। सरकार विभिन्न विदेशी कंपनियों के सहयोग से पूरे देश में सर्वेक्षण अभियान चला रही है ताकि तेल के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थों के भंडारों का भी पता लगाया जा सके।

अल्जीरिया ने यूएई से तोड़े राजनयिक संबंध

उर्दू टाइम्स (11 सितंबर) के अनुसार अल्जीरिया ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। अल्जीरिया सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला यूएई द्वारा आक्रामक कार्रवाई किए जाने के कारण किया गया है। प्रवक्ता ने दावा किया कि अल्जीरिया ने यूएई के साथ संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने का पूरा प्रयास किया था। अल्जीरिया सरकार ने यूएई के राजदूत को 48 घंटों के भीतर देश छोड़कर चले जाने का निर्देश दिया है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि यूएई अल्जीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और कतर के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूएई हमारे देश में उन तत्वों को बढ़ावा दे रहा है, जो वर्तमान सरकार का तख्तापलट करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत फरवरी महीने में हुई थी। तब अल्जीरिया ने यूएई के साथ 2013 में अबू धाबी में हुए विमान सेवाओं से संबंधित समझौते को रद्द कर दिया था। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अक्सर अपने भाषणों में यूएई को 'माइक्रो स्टेट' करार देते हुए उस पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वह अल्जीरिया में विद्रोही तत्वों को प्रोत्साहन दे रहा है। जुलाई महीने में एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि "वे अल्जीरिया में खून की नदियां बहाने की साजिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे हमसे दूर रहें ताकि हमारे देश में खून न बहे।" उन्होंने अरब देशों से अपील की कि वे यूएई के खतरनाक इरादों के प्रति सावधान रहें।

उर्दू टाइम्स (11 सितंबर) ने अपने संपादकीय में अल्जीरिया और यूएई के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इन मतभेदों का मुख्य कारण फिलिस्तीन का मुद्दा है। एक ओर अल्जीरिया है, जो फिलिस्तीन मामले को अरब की राजनीति के लिए अनिवार्य समझता है। दूसरी ओर वे अरब देश हैं, जो अमेरिका के दबाव में इजरायल के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और उनमें से कई देशों ने इजरायल को औपचारिक मान्यता भी दे दी है। हाल ही में एक इजरायली अखबार 'हारेत्ज' ने इस संबंध में एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 के हमले से लगभग 10 दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टेलीफोन करके सावधान किया था कि हमास इजरायल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूएई के राष्ट्रपति ने यह आशंका भी जताई थी कि इस हमले के कारण पश्चिम एशिया में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है और 'अब्राहम समझौते' को नुकसान पहुंच सकता है।

इस चेतावनी को इजरायली प्रधानमंत्री ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपेक्षाकृत शांत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इजरायल ने गाजा की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है और हमास द्वारा गाजा की तरफ से ऐसे किसी हमले

की कोई संभावना नहीं है। उनका मानना था कि मुख्य खतरा वेस्ट बैंक में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूएई द्वारा इजरायल को हमले की पूर्व जानकारी दिए जाने के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में अपनी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क तक नहीं किया।

समाचारपत्र ने लिखा है कि अरब देश फिलिस्तीन के मामले में गंभीर नहीं हैं और वे इस समस्या को इस्लाम तथा मुसलमानों की समस्या के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद उनका यह रुख अमेरिकी दबाव के कारण है। गौरतलब है कि यूएई के इजरायल के साथ 'अब्राहम समझौते' के तहत राजनयिक संबंध हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। समाचारपत्र ने कहा है कि असली समस्या तब पैदा होती है जब कोई अरब देश इस्लाम व रसूल की चेतावनियों को नजरअंदाज करके इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करता है और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार तथा उनकी स्वतंत्रता की उपेक्षा करता है।

लेबनान का इजरायल के साथ शांति वार्ता से इनकार

एतेमाद (13 सितंबर) के अनुसार लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने स्पष्ट किया है कि जब तक इजरायल लेबनान की सीमाओं से अपनी सेना वापस नहीं बुलाता और युद्धबंदियों को रिहा नहीं करता तब तक उससे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की जाएगी। हाल ही में लेबनानी राष्ट्रपति ने अपने सैन्य अधिकारियों और लेबनानी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ नबातीयेह के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था। इसी बीच एक अमेरिकी प्रवक्ता ने 'अरब न्यूज' को बताया कि इजरायल और लेबनान के बीच जो वार्ता अगले सप्ताह इटली की राजधानी रोम में होने वाली थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार यह प्रयास कर रहा है कि इजरायल और लेबनान के अधिकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करके अगले चरण की बातचीत का एक ठोस ढांचा तैयार कर सकें।

गौरतलब है कि लेबनान और इजरायल के बीच अमेरिका के मध्यस्थता प्रयासों के तहत

वाशिंगटन में बातचीत शुरू हुई थी। इसके बाद 26 जून 2026 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें यह सहमति बनी थी कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के उन क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खाली कर देगी, जिन पर उसने सैन्य अभियान के दौरान कब्जा किया है। हालांकि, लेबनान सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने अब तक इस समझौते की शर्तों का पूरी तरह सम्मान नहीं किया है और वह दक्षिणी लेबनान को लगातार अपने हमलों का निशाना बना रहा है। लेबनान के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 मार्च 2026 से जारी इस सैन्य संघर्ष में अब तक 4300 से अधिक लेबनानी नागरिक मारे जा चुके हैं और 12 हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बावजूद इजरायल दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र से अपनी सेना को हटाने को तैयार नहीं दिख रहा है।

औरंगाबाद टाइम्स (15 सितंबर) के अनुसार इजरायल के रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि यदि लेबनान या किसी अन्य विदेशी सेना ने दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों की ओर रुख किया तो इजरायल उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना इन क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बना रही है और उनके मिसाइल निर्माण केंद्रों को नष्ट कर रही है। यह वह क्षेत्र है जिसे इजरायल 'येलो लाइन' कहता है और यह इलाका लगभग 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इजरायली सेना इस क्षेत्र को तब तक खाली नहीं करेगी, जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह अपने हथियार किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन को नहीं सौंप देता। उन्होंने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्रों पर लगातार हमले कर रहा है और लेबनान सरकार उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है।

सियासत (5 सितंबर) के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं और उसने कई नए क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इजरायल लेबनान के साथ हुए युद्धविराम समझौते का लगातार उल्लंघन कर रहा है। लेबनान के रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इजरायल ने हाल ही में दक्षिणी लेबनान में पांच नए रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने के बाद वहां अपने स्थाई सैन्य शिविर स्थापित कर लिए हैं। हालांकि, इजरायल ने इससे पहले अमेरिका को यह आश्वासन दिया था कि वह लेबनान के उन सभी क्षेत्रों को खाली कर देगा, जिन पर उसने हालिया सैन्य अभियान के दौरान कब्जा किया था। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

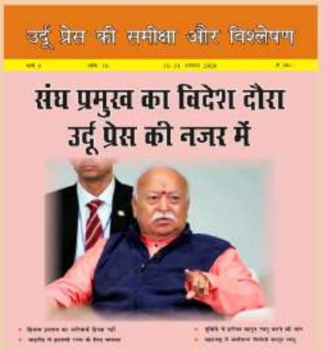

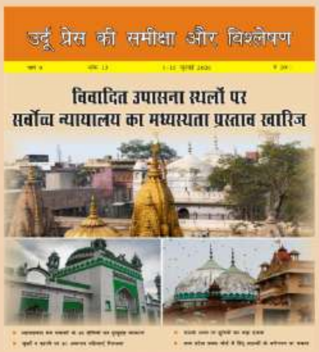

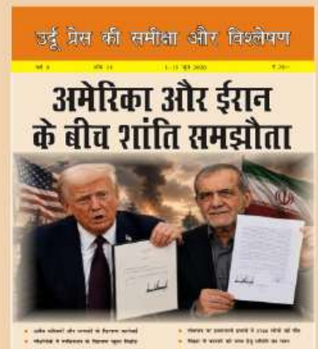

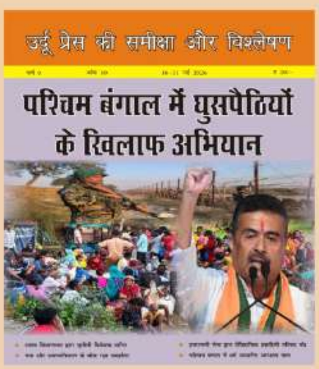

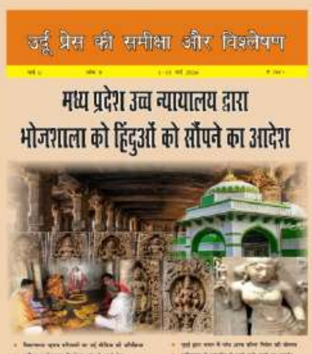

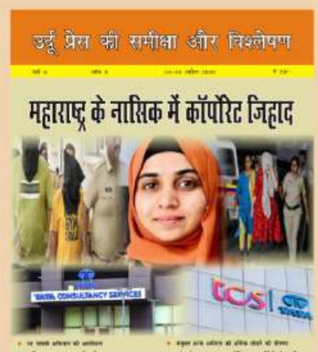

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in